अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना सुविधाएं

- जीजीएसआईपीयू अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संबद्धता गतिविधियों से प्राप्त आय पर निर्भर है, जो इसके कुल राजस्व का 53 से 57 *प्रतिशत* है, जब कि डीपीएसआरयू सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर निर्भर है (2018-23 के दौरान इसकी प्राप्तियों का 77 *प्रतिशत*)। डीटीयू अपने राजस्व व्यय को मुख्यतः अपने आंतरिक राजस्व से पूरा करता है।
- जीएसआईपीयू द्वारा सीपीएफ का निवेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुरूप नहीं था। 2018-23 के दौरान अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण उसे ₹ 2.11 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई।
- जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर (मार्च 2022 से अप्रैल 2023) और डीटीयू के रोहिणी परिसर (जनवरी 2022 से जुलाई 2023) ने कार्यात्मक वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) होने के बावजूद डीजेबी के जल बिलों पर उपलब्ध ₹ 4.66 करोड़ की छूट का लाभ नहीं उठाया।
- 2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू में 38.77 *प्रतिशत* और 44.84 *प्रतिशत,* डीटीयू में 55 *प्रतिशत* और 60 *प्रतिशत* तथा डीपीएसआरयू में 21.77 *प्रतिशत* और 54.43 *प्रतिशत* के बीच शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी थी।
- 2018-23 की अवधि के दौरान जीजीएसआईपीयू में गैर-शिक्षण कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी क्रमशः 38 से 50 और 39 से 65 *प्रतिशत* के बीच रही और डीटीयू में यह क्रमशः 62 से 67 *प्रतिशत* और 44 से 49 *प्रतिशत* के बीच रही। इसी प्रकार, डीपीएसआरयू में 2018-23 के दौरान गैर-शिक्षण पदों में रिक्तियां 34 *प्रतिशत* से 53 *प्रतिशत* और तकनीकी पदों में रिक्तियां 53 *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के बीच रही।

- **लेखापरीक्षा में भर्ती में विलंब, स्वीकृत पदों के बिना भर्ती और अपात्र व्यक्तियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने जैसी कमियां पाई गईं।**
- **तीनों विश्वविद्यालय कक्षाओं और बैठने की जगह की कमी से जूझ रहे थे। जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर में 4,017 छात्रों के लिए केवल 2,973 सीटों की क्षमता थी, डीटीयू के रोहिणी परिसर में 13,908 छात्रों के लिए 8,280 सीटों की क्षमता थी और डीपीएसआरयू में 2,800 छात्रों के लिए केवल 1,157 सीटों की क्षमता थी।**
- **संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने इन विश्वविद्यालयों में अपर्याप्त अवसंरचना, उपलब्ध अवसंरचना और उपकरणों का गैर-उपयोग आदि भी देखे।**

शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संगठन में वित्त, मानव संसाधन और अवसंरचना सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने और सक्षम जनशक्ति की नियुक्ति और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता होती है। चयनित तीन विश्वविद्यालयों में इन संसाधनों के प्रबंधन में कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1 वित्तीय प्रबंधन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय संसाधनों का आबंटन और उपयोग विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप तथा इस संबंध में विद्यमान नियमों और विनियमों का पालन करते हुए किया जाता है, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। इस संबंध में चयनित तीन विश्वविद्यालयों में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1.1 बजट और व्यय

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान तीनों विश्वविद्यालयों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

चार्ट 4.1: जीजीएसआईपीयू की प्राप्तियों और व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

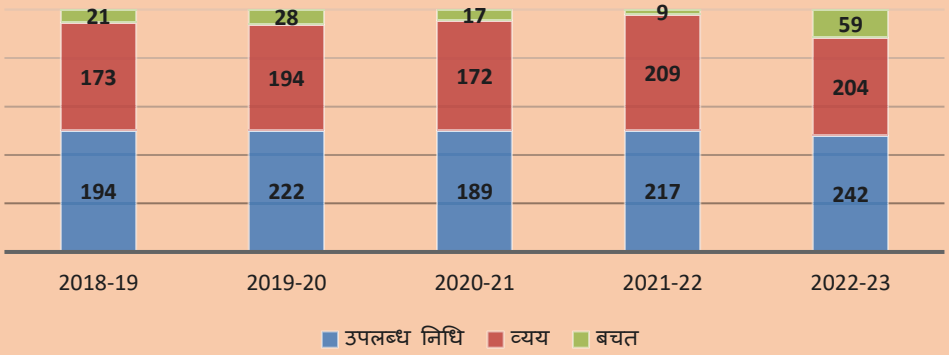

चार्ट 4.2: डीटीयू की प्राप्तियों और व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

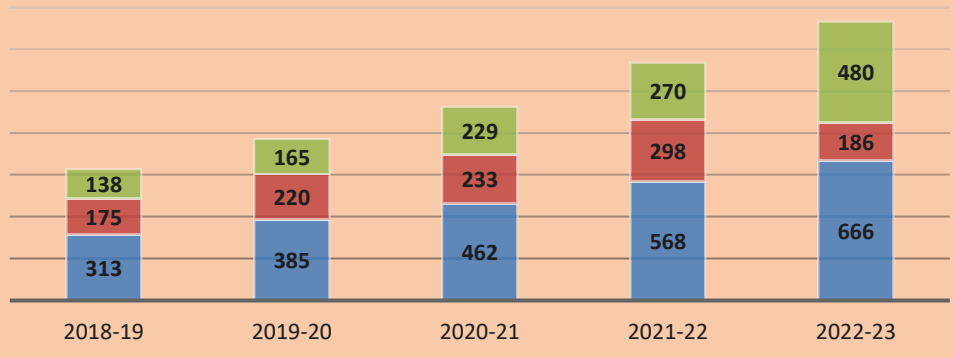

चार्ट 4.3: डीपीएसआरयू की प्राप्तियों और व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

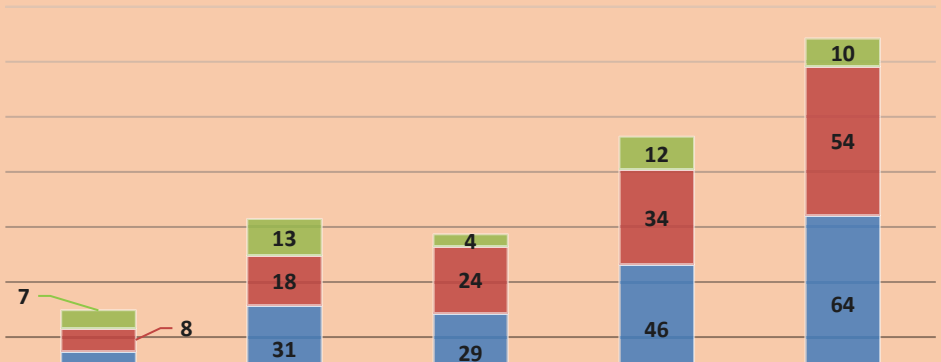

संबद्धता गतिविधियों से आय, जो 53 *प्रतिशत* (2022-23) से 57 *प्रतिशत* (2018-19) के बीच था, जीजीएसआईपीयू के राजस्व का बड़ा हिस्सा था। इसमें कमी आने की संभावना है क्योंकि स्वायत्त कॉलेजों को यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम 2018 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वार्षिक संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जब कि 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियमित रोज़गार पर रहे कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने की आवश्यकता और ₹ 973.99 करोड़ की अनुमानित लागत से द्वारका परिसर के चरण II के प्रस्तावित विकास (सरकार से वित्तीय सहायता की कोई प्रतिबद्धता नहीं) को देखते हुए व्यय के बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय को अपने राजस्व को बढ़ाने/विविधता लाने के तरीकों की पहचान करनी होगी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने अपने राजस्व को बढ़ाने/विविधता लाने तथा संबद्धता से मिलने वाली आय पर निर्भरता कम करने के लिए छात्रों के प्रवेश में वृद्धि, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, विभिन्न कार्यक्रमों के शुल्क में मामूली वृद्धि, किराए से राजस्व उत्पन्न करने आदि जैसे कदम उठाए हैं।

डीटीयू अपने राजस्व व्यय को विश्वविद्यालय जनित निधियों (यूजीएफ)[1] और गैर-सरकारी निधियों (एनजीएफ)[2] के रूप में अपने आंतरिक राजस्व से पूरा करता है और मार्च 2023 तक यूजीएफ में ₹ 125 करोड़ और एनजीएफ में ₹ 355 करोड़ का शेष था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2018-23 के दौरान, इसे सरकार से ₹ 192.75 करोड़ का जीआईए प्राप्त हुआ, यद्यपि यह संबंधित वित्त वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ।

---

[1] यूजीएफ में प्राप्तियों में शैक्षणिक प्राप्तियां, निवेश से आय और अन्य आय शामिल हैं।

[2] विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, परीक्षा, प्रायोजित परियोजनाएं, पदक और छात्रवृत्तियां, विश्वविद्यालय अनुसंधान विकास निधि, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, परामर्श, सुविधाएं और सेवाएं आदि जैसी निर्धारित निधियों को गैर-सरकारी निधि (एनजीएफ) मानता है। इनकी आय और व्यय विश्वविद्यालय के आय-व्यय खाते में नहीं दर्शाए जाते। तथापि, इन एनजीएफ में अंत शेष राशि को विश्वविद्यालय के वार्षिक तुलन पत्र में देनदारियों के रूप में दर्शाया जाता है।

निर्गम सम्मेलन में सचिव ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जीआईए जारी करने में विलंब हुआ है और कहा कि विभाग ने जीआईए को समय पर जारी करने के लिए एक एसओपी तैयार किया है।

डीपीएसआरयू के मामले में, 2018-23 के दौरान ₹ 185.10 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से, ₹ 143.78 करोड़ (77 *प्रतिशत*) सरकार से प्राप्त जीआईए थे, जिससे यह सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो गया। आत्मनिर्भरता के लिए इसे आय के नए स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है।

4.1.2 छात्रों की प्रतिभूति जमा राशि वापस नहीं की गई

डीटीटीई ने जीजीएसआईपीयू, डीटीयू (तत्कालीन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) और डीपीएसआरयू (तत्कालीन दिल्ली औषधी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान) को निर्देश दिया था (दिसंबर 2003) कि वे छात्रों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से अदावी प्रतिभूति जमा को सरकारी खाते में जमा करें। मार्च 2023 तक, छात्रों की ₹ 6.67 करोड़, ₹ 4.46 करोड़ और ₹ 1.34 करोड़ का अदावी प्रतिभूति जमा क्रमशः जीजीएसआईपीयू, डीटीयू और डीपीएसआरयू के पास पड़ा था (जीजीएसआईपीयू के मामले में 2008-09 तक की अवधि की)। डीटीयू ने उन छात्रों से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखा, जिन्हें प्रतिभूति जमा देय थीं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने छात्रों को अपनी छात्र प्रतिभूति राशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए हैं और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से उसने छात्र प्रतिभूति जमा को बंद करने का निर्णय लिया है। डीटीयू के मामले में, विश्वविद्यालय ने तीन वर्षों से अधिक समय से अदावी प्रतिभूति जमा को विश्वविद्यालय के समग्र निधि खाते में अंतरित कर दिया है। डीपीएसआरयू के मामले में, यह कहा गया कि विश्वविद्यालय को छात्रों द्वारा प्रतिभूति जमा का दावा करने के लिए एक आसान तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

डीटीटीई के निर्देशानुसार, अदावी प्रतिभूति जमा को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए।

4.1.3 सीपीएफ/अधिशेष निधि का निवेश

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा निर्दिष्ट (मार्च 2015) निवेश के पैटर्न के अनुसार, गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के अंतर्गत आने वाली निधि को सरकारी प्रतिभूतियों (45 से 50 *प्रतिशत*), ऋण प्रतिभूतियों और बैंकों की सावधि जमा (35 से 45 *प्रतिशत),* मुद्रा बाज़ार लिखत (5 *प्रतिशत* तक) और एक्सचेंज ट्रेडेड निधि और परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों (10 से 20 *प्रतिशत*) जैसे अन्य में निवेश किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त के उल्लंघन में, वर्ष 2018-19 के दौरान, ***जीजीएसआईपीयू*** की अंशदायी भविष्य निधि (₹ 72.37 करोड़) का 96.71 *प्रतिशत* फ्लेक्सी जमा सहित सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में और शेष 3.29 *प्रतिशत* (₹ 2.46 करोड़) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की प्रतिशतता समय के साथ धीरे-धीरे कम होती गई और यह मार्च 2019 के 3.29 *प्रतिशत* से मार्च 2023 में 2.76 *प्रतिशत* हो गई। जीजीएसआईपीयू ने अप्रैल 2010 से सीपीएफ को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया (जनवरी 2024) और बेहतर और सुरक्षित प्रतिलाभ के लिए निवेश की संभावना ढूंढ़ने का आश्वासन दिया।

उपर्युक्त के अलावा, जीजीएसआईपीयू को 2018-23 के दौरान अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 2.11 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई, क्योंकि निवेश समिति के अध्यक्ष दिल्ली से बाहर होने के कारण बैठक के लिए मौजूद नहीं थे।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि दिल्ली से बाहर के अध्यक्ष को अब विश्वविद्यालय के एक आंतरिक सदस्य से बदल दिया गया है ताकि प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि निवेश समितियों की बैठकें अब नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

4.1.4 निधियों का अपयोजन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में ध्यान एवं योग विस्तार प्रकोष्ठों के निर्माण और डीपीएसआरयू में "ध्यान एवं योग विज्ञान केंद्र (सीएमवाईएस)" की स्थापना करके ध्यान एवं योग में डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने (15 मार्च 2021 से) हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया। डीपीएसआरयू को इस प्रयोजन के लिए डीटीटीई से ₹ 22.36 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए सीएमवाईएस निधि के ₹ 5.02 करोड़ में से, ₹ 3.42 करोड़ का व्यय सीवाईएमएस से संबंधित निर्माण गतिविधियों पर नहीं किया गया था, जैसे (i) खेल के मैदान में अस्थायी शेड का निर्माण, (ii) परीक्षा कार्यालय ब्लॉक पर लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम और (iii) स्वागत कक्ष के पास छात्र/शैक्षणिक अर्ध-पक्का कार्यालय और पुस्तकालय का विस्तार और लिफ्ट की स्थापना।
- सीएमवाईएस निधि से ₹ 18.03 लाख की राशि का उपयोग आईटी विभाग के लिए लैपटॉप, विभिन्न अवसरों के लिए पीतल की मूर्तियाँ, अतिथि गृह के लिए फर्नीचर, कुलपति/कुलसचिव के कार्यालय के लिए ज़ूम कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए किया गया, जो योजना से संबंधित नहीं थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नवंबर 2022 में सीएमवाईएस योजना को बंद कर दिया। नवंबर 2022 में सरकार द्वारा योजना को बंद करने के परिणामस्वरूप ध्यान एवं योग केंद्र के निर्माण के अधूरे कार्य पर ₹ 1.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त, ध्यान और योग केंद्र के चार निर्माण कार्यों और विश्वविद्यालय के अन्य भागों की अवसंरचना के विकास के लिए ₹ 2.54 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि सीएमवाईएस योजना के लिए डीपीएसआरयू को ₹ 22.36 करोड़ का जीआईए दिया गया था और उक्त राशि का उपयोग डीपीएसआरयू द्वारा सीएमवाईएस की गतिविधियों के लिए किया जाना था।

तथापि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, डीपीएसआरयू ने इस निधि का एक हिस्सा सीएमवाईएस योजना से असंबंधित मदों पर खर्च किया।

4.1.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विश्वविद्यालयों के हिस्से का कम जमा होना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को डीटीयू (जून 2017) और डीपीएसआरयू (फरवरी 2021) में क्रमशः जनवरी 2010 और मई 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। पूर्वव्यापी अवधि के लिए एनपीएस अंशदान में विश्वविद्यालयों के हिस्से को जमा करते समय, डीटीयू और डीपीएसआरयू ने केवल मूल राशि जमा की, जिसके परिणामस्वरूप अंशदान देय तिथि से उस अवधि के लिए देय ब्याज कम जमा हुआ। डीटीयू के मामले में ₹ 31.04 लाख और डीपीएसआरयू के मामले में ₹ 16.29 लाख की राशि कम जमा की गई थी।

डीटीयू के मामले में विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि मामला विश्वविद्यालय के विचाराधीन है और डीटीयू की वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। डीपीएसआरयू के मामले में, यह सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ब्याज राशि का भुगतान कर दिया गया है (अप्रैल 2024)। तथापि, उक्त भुगतान के लिए कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.1.6 जल बिलों में सब्सिडी का दावा नहीं किया गया

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के 18 मार्च 2016 के परिपत्र के अनुसार, परिसर में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित होने पर 10 *प्रतिशत* सब्सिडी और परिसर में सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित होने पर 10 *प्रतिशत* सब्सिडी का प्रावधान है। यदि आरडब्ल्यूएच और एसटीपी दोनों स्थापित हैं, तो सब्सिडी बिल राशि के 15 *प्रतिशत* तक सीमित है। जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर (मार्च 2022 से अप्रैल 2023) और डीटीयू के रोहिणी परिसर (जनवरी 2022 से जुलाई 2023) ने कार्यात्मक वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) होने के लिए डीजेबी के जल बिलों पर उपलब्ध ₹ 4.66 करोड़ की छूट का लाभ नहीं उठाया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने अपने द्वारका परिसर के लिए जनवरी 2024 से (लेखापरीक्षा में बताए जाने के बाद) जल बिलों पर छूट का लाभ उठाना शुरू कर दिया है और सूरजमल विहार परिसर के लिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है। उसने आगे कहा कि डीटीयू ने सितंबर 2022 में रोहिणी और फरवरी 2024 में विवेक विहार में वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए दिल्ली जल बोर्ड से अनुमोदन के लिए आवेदन किया था। डीजेबी से अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है और डीजेबी की स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय सब्सिडी के लिए आवेदन करेगा।

4.1.7 शुल्क में विश्वविद्यालय के हिस्से की कम प्राप्ति

प्रवेश परामर्श, पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य-वस्तु तैयार करना, परीक्षा आयोजित करना, परिणाम तैयार करना, उपाधि प्रदान करना आदि जैसी सेवाओं के बदले में विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों से निर्धारित दर पर विश्वविद्यालय शुल्क वसूल करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध 57 संस्थानों पर अक्टूबर 2023 तक ₹ 10.67 करोड़ की राशि बकाया थी, जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक छात्रों द्वारा जमा किए गए शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा थी। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि उसने संबद्ध महाविद्यालयों से अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे छात्रों के प्रवेश के समय विश्वविद्यालय का हिस्सा प्रतिधारित करना क्योंकि प्रथम वर्ष का शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाता है, साथ ही उच्च स्तर पर बकाया राशि जमा करने के मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

4.1.8 वित्तीय प्रबंधन में अन्य कमियां

लेखापरीक्षा ने तीनों विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन में विभिन्न अन्य कमियां देखीं, जो निम्नानुसार हैं:

<u>जीजीएसआईपीयू</u>

(i) सरकार से सहायता अनुदान की हानि: विश्वविद्यालय को वर्ष 2022-23 में कक्षाओं के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए सरकार से ₹ 20 करोड़ का

अनुदान नहीं मिल सका क्योंकि उसने अनुमान तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए डीएचई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने ₹ 9.73 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तथापि, डीएचई की मंज़ूरी बाद में वापस ले ली गई क्योंकि वित्त और योजना विभागों द्वारा डीएचई को पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कमियों के कारण 2022-23 में अनुदान प्राप्त नहीं हो सका। तथापि, अगले वर्ष 2023-24 में सरकार ने प्रारंभिक बजट अनुमानों में प्रावधान किया, परंतु बाद में परिशोधित अनुमानों के चरण में, निधि की कमी के कारण अंततः स्वीकृति वापस ले ली गई। विभाग के उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में निधि उपलब्ध थी या नहीं।

(ii) वाणिज्यिक दरों पर विज्ञापन जारी किए गए: विश्वविद्यालय ने सूचना और प्रचार निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के माध्यम से कम दरों के बजाय 2018-23 के दौरान वाणिज्यिक दरों पर ₹ 6.50 करोड़ की लागत के विज्ञापन जारी किए।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डीएवीपी दरें प्राप्त नहीं कर सका और उसे अपने विज्ञापन वाणिज्यिक दरों पर जारी करने पड़े। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अंबेडकर विश्वविद्यालय की तरह अपने प्रशासनिक विभाग (अर्थात उच्चतर शिक्षा विभाग) के नाम से डीएवीपी दरों पर अपने विज्ञापन प्रकाशित कर सकता था।

(iii) सेवा कर एकत्रित नहीं किया गया: विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित संबद्धता शुल्क पर सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर[3] (जीएसटी) एकत्रित नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-23 के लिए ₹ 10.68 करोड़ की सेवा कर देयता उत्पन्न हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने वित्त वर्ष 2023-24 से संबद्धता शुल्क पर जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया है और 2017-23 की

[3] 1 जुलाई 2017 से सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया।

अवधि के लिए जीएसटी अधिकारियों को अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। 2013-17 की अवधि के लिए सेवा कर की देय राशि के भुगतान के बारे में उत्तर में नहीं बताया गया है।

<u>डीटीयू</u>

(i) अधिशेष निधियों का निवेश नहीं किया गया: डीटीयू द्वारा अनुरक्षित 39 बैंक खातों में से 26 चालू खाते थे। लेखापरीक्षा ने इनमें से पांच खातों की शेष राशि की नमूना जांच की और पाया कि महीने के अंत में शेष राशि ₹ 74.23 करोड़ तक थी। ऑटो स्वीप सुविधा के माध्यम से इस अधिशेष शेष राशि को सावधि जमा में निवेश करने पर डीटीयू को ब्याज की प्राप्ति हो जाती।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुसार, डीटीयू ने अपने सभी बैंक खातों को फ्लेक्सी खाते में परिवर्तित कर दिया है और अब उसके बचत/चालू खातों में कोई अतिरिक्त शेष राशि नहीं है।

(ii) लाइसेंस शुल्क परिशोधित नहीं किया गया : डीटीयू ने भारतीय स्टेट बैंक को किराए पर दिए गए स्थान के लिए लगाए गए लाइसेंस शुल्क (जैसा कि समय-समय पर संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा निर्धारित और परिशोधित[4] किया गया है) की दर को परिशोधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 19.22 लाख के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा कि इसके लिए एसबीआई को मांग नोटिस जारी की गई है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने लाइसेंस शुल्क की दर परिशोधित कर दी है और बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क के आधार पर गणना की गई बकाया राशि वसूल कर ली है। तथापि, उत्तर किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य से समर्थित नहीं है।

[4] इस अवधि के दौरान संपदा निदेशालय की प्रति वर्ग मीटर प्रति माह दरों को दो बार परिशोधित किया गया, 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक, जिन्हें अप्रैल 2020 के बाद के लिए ₹ 800 और अप्रैल 2023 के बाद के लिए ₹ 940 कर दिया गया। तथापि, डीटीयू अप्रैल 2017 से पहले प्रभावी ₹ 585 और 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी ₹ 675 की दर से लाइसेंस शुल्क वसूलता रहा।

<u>डीपीएसआरयू</u>

(i) लाइसेंस शुल्क की कम वसूली : संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क एकत्र करने के बजाय, डीपीएसआरयू परिसर में छात्रावास मेस/कैंटीन चलाने के लिए प्रति माह ₹ 30,000 का शुल्क ले रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 21 फरवरी 2022 से 29 फरवरी 2024 की अवधि के लिए ₹ 44.44 लाख के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू द्वारा लाइसेंस शुल्क रा.रा.क्षे.दि.स. की दरों के अनुसार, अर्थात डीओई द्वारा निर्धारित दरों और पीडब्ल्यूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समर्थित दरों पर लिया जाना है।

(ii) जीआईए पर ब्याज: वर्ष 2018-19 के लिए सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान प्राप्त जीआईए पर अर्जित ₹ 0.28 करोड़ की ब्याज राशि को न तो सरकारी खाते में भेजा गया और न ही 2019-20 के अनुदान के प्रति समायोजित किया गया, जो सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 230 (8) के प्रावधानों का उल्लंघन था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू अगले उपयोगिता प्रमाणपत्र में वर्ष 2018-19 के लिए जीआईए के उक्त ब्याज का हिसाब रखेगा।

(iii) आयकर छूट का लाभ नहीं उठाया गया: डीपीएसआरयू, एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत आयकर भुगतान से छूट के लिए पात्र था। तथापि, 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, उसने अप्रैल 2022 में ही छूट प्रमाणपत्र प्राप्त किया। आयकर अधिकारियों से छूट प्राप्त करने में विलंब के परिणामस्वरूप, निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 43.99 लाख का अनुचित भुगतान और 2018-23 के दौरान ₹ 40.47 लाख की स्रोत पर कर कटौती हुई।

डीपीएसआरयू ने कहा (मार्च 2024) कि वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी सनदी लेखाकार ने न तो आईटीआर दाखिल किया और न ही छूट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जब तक कि लेखापरीक्षा ने 2021 में इस मुद्दे को चिह्नित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि

डीपीएसआरयू को भविष्य में आयकर मामलों को निपटाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए।

(iv) ₹ 3.66 करोड़ खर्च करने के बावजूद डीजेबी जल कनेक्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया: डीपीएसआरयू ने अपने परिसर के अंदर जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पास मार्च 2019/जनवरी 2021 में ₹ 3.66 करोड़ जमा किए। डीजेबी ने जल पाइपलाइन बिछाने के लिए ₹ 1.36 करोड़ की एक और मांग उठाई (मई 2022) और विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि वह संबंधित अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस से सभी आवश्यक अनुमतियों की व्यवस्था करे। आगे और कोई कार्रवाई नहीं हुई और ₹ 3.66 करोड़ जमा करने के बाद भी, डीपीएसआरयू को अभी तक डीजेबी से पेय जल की आपूर्ति नहीं मिली थी और उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भूजल पर निर्भर रहना पड़ा था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीजेबी ने निक्षेप कार्य के लिए अधिक धनराशि की मांग की और फरवरी 2025 में सूचित किया कि जल पाइपलाइन बिछाने के काम में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा।

(V) वित्तीय आंकड़ों का समाधान न होना : विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विंग और लेखा विंग द्वारा 2018-23 के लिए छात्रों से एकत्रित शुल्क के आंकड़ों में अंतर था। इन अभिलेखों के अनुसार, एकत्रित शुल्क 2018-19 की देय राशि से ₹ 1.62 करोड़ अधिक था, जब कि 2019-23 की देय राशि से ₹ 2.37 करोड़ कम था। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि पारदर्शिता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय आंकड़ों अर्थात छात्र शुल्क आदि का समाधान किया जाना चाहिए।

इन विश्वविद्यालयों द्वारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन अधिशेष निधियों के निवेश में विफलता, निधियों का अपयोजन, एनपीएस अंशदानों का कम प्रेषण, जल बिलों पर सब्सिडी का लाभ न उठाना, सरकार से अनुदान प्राप्त करने में विफलता, स्थान किराए पर देने के लिए लाइसेंस शुल्क की कम वसूली आदि के कारण प्रभावित हुआ। वित्त से संबंधित मामलों को निपटाने में इन कमियों के कारण, इन विश्वविद्यालयों को ₹ 9.19 करोड़ की संयुक्त हानि हुई।

4.2 मानव संसाधन प्रबंधन

शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं सक्षम कर्मचारियों का होना अत्यंत आवश्यक है। तीनों विश्वविद्यालयों के मानव संसाधन प्रबंधन पर की गई अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.2.1 शिक्षण कर्मचारियों की कमी

लेखापरीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी पाई गई, जो शिक्षा प्रदान करने का मुख्य कार्य करते हैं। 2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू में शिक्षण पदों की कुल रिक्तियां 38.77 *प्रतिशत* से 44.84 *प्रतिशत* के बीच थीं, और विशेष रूप से प्रोफेसर के संवर्ग में, संविदा पर कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए भी यह 58 *प्रतिशत* से 63 *प्रतिशत* के बीच थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान स्कूल, आपदा प्रबंधन अध्ययन केंद्र और औषधि विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र बिना किसी नियमित संकाय के कार्य कर रहे थे।

संविदात्मक शिक्षकों पर विचार करने के बाद भी डीटीयू में शिक्षण पदों की कुल रिक्तियां 55 *प्रतिशत* से 60 *प्रतिशत* के बीच थीं। लेखापरीक्षा अवधि 2018-23 के दौरान डीटीयू में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के तीन-चौथाई पद रिक्त रहे। वर्ष 2022-23 में डीटीयू में 38 प्रोफेसरों और 153 एसोसिएट प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों के प्रति, केवल 15 प्रोफेसर (19 *प्रतिशत*) और 37 एसोसिएट प्रोफेसर (24 *प्रतिशत*) ही तैनात पाए गए। डीटीयू ने इस कमी को पूरा करने के लिए केवल 14 से 21 सहायक प्रोफेसरों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया (मानदंडों के अनुसार, अधिकतम 70 शिक्षकों को संविदा तक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है) और सीटों की क्षमता की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति का सहारा लिया।

डीपीएसआरयू में संविदात्मक शिक्षकों पर विचार करने के बाद भी शिक्षण पदों में रिक्तियां 21.77 *प्रतिशत* (2022-23) से 54.43 *प्रतिशत* (2019-20) तक थीं।

शिक्षण कर्मचारियों की इतनी कमी का सामना करने के बावजूद, डीपीएसआरयू के शिक्षण कर्मचारियों को गैर-शैक्षणिक प्रकृति (जैसे खरीद, भर्ती, पुस्तकालय, प्रशासन, छात्रावास और भंडार) के अतिरिक्त कार्य सौंपे गए थे, जो उनके नियत शैक्षणिक कार्य को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जीजीएसआईपीयू (2021-22 में 19 *प्रतिशत* और 2022-23 में 15 *प्रतिशत*) और डीपीएसआरयू (2019-20 में 13.92 *प्रतिशत* से लेकर 2020-21 को छोड़कर 2018-19 में 23.91 *प्रतिशत* तक) में संविदात्मक शिक्षण कर्मचारियों का प्रतिशत यूजीसी विनियमों में निर्दिष्ट 10 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक था।

डीटीयू और डीपीएसआरयू के मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह शिक्षण कर्मचारियों की कमी को स्वीकार करता है और डीटीयू ने मार्च 2024 में 158 संकाय पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। तथापि, उत्तर में भर्ती की वर्तमान स्थिति नहीं दी गई।

4.2.2 गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की कमी

शिक्षण कर्मचारियों की तरह, तीनों विश्वविद्यालयों को गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की भी कमी का सामना करना पड़ा। 2018-23 की अवधि के दौरान जीजीएसआईपीयू में गैर-शिक्षण कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी क्रमशः 38 से 50 और 39 से 65 *प्रतिशत* के बीच थी, जब कि डीटीयू में यह क्रमशः 62 से 67 *प्रतिशत* और 44 से 49 *प्रतिशत* के बीच थी। इसी प्रकार, डीपीएसआरयू में 2018-23 के दौरान गैर-शिक्षण पदों में रिक्तियां 34 *प्रतिशत* से 53 *प्रतिशत* और तकनीकी पदों में 53 *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के बीच रहीं। कर्मचारियों की ऐसी कमी विश्वविद्यालयों के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

जीजीएसआईपीयू में निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सामान्य सहायक, सहायक, सहायक लेखाकार, आशुलिपिक आदि तथा डीटीयू में प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष, स्टोर अधिकारी, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, आशुलिपिक आदि संवर्गों में महत्वपूर्ण कमी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के मामले में, विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए सर्वोत्तम संभव कदम उठाए हैं और विश्वविद्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बहिःस्रोतन के आधार पर नियुक्त किया गया है। डीटीयू के मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने पांच गैर-शिक्षण और तीन तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। डीपीएसआरयू के मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि 2022 में शुरू की गई गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की संभावना है।

4.2.3 प्रमुख पदों पर समर्पित/नियमित कार्मिकों का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालयों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख पद या तो रिक्त थे या अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों/परामर्शदाताओं द्वारा देखे जा रहे थे, जो विश्वविद्यालयों के कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए अनुकूल नहीं है।

जीजीएसआईपीयू जून 2019 से ***प्रतिकुलपति के बिना काम कर रहा था***, जो 100 से अधिक संबद्ध कॉलेजों वाले विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद या तो अतिरिक्त प्रभार या स्थानापन्न आधार पर रखे गए थे **(अनुलग्नक 4.1)** तथा भर्ती, प्रवेश और परामर्श जैसे महत्वपूर्ण कार्य देखने वाले उप कुलसचिव के तीन पद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा रखे गए थे जिन्हें परामर्शदाता के रूप में काम पर रखा गया था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि प्रतिकुलपति के अभाव का मामला बीओएम के विचारार्थ रखा जाएगा। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने नियमित आधार पर कुलसचिव की नियुक्ति कर दी है और वित्त नियंत्रक, उप-कुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीटीयू में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक आदि के पद या तो अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार/स्थानापन्न आधार पर रखे गए थे या 2018-23 के अधिकांश समय के लिए रिक्त पड़े थे **(अनुलग्नक 4.1)**।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों के लिए सितंबर 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीपीएसआरयू में भी, जनवरी 2021 से अगस्त 2023 तक वित्त नियंत्रक का पद कुलसचिव के पास स्थानापन्न क्षमता में रहा और उप-कुलसचिव एवं निदेशक (डीआईपीएसएआर) के पद 2018-23 के दौरान रिक्त रहे। डीपीएसआरयू ने कहा (जनवरी 2024) कि चयनित उम्मीदवार ने वित्त नियंत्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, प्रशासनिक कारणों से उप-कुलसचिव के चयन की प्रक्रिया रद्द कर दी गई और निदेशक (डीआईपीएसएआर) का प्रभार एक वरिष्ठ संकाय को दे दिया गया।

4.2.4 भर्ती

लगभग सभी संवर्गों में कार्मिकों की भारी कमी के बावजूद, रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों के प्रयासों में उद्देश्य और तत्परता की कमी थी। जहाँ भर्तियाँ हुईं भी, वहाँ लेखापरीक्षा ने विलंब, स्वीकृत पदों के बिना भर्ती, अपात्र व्यक्तियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने आदि जैसी कमियां देखीं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) भर्ती में विलंब

जीजीएसआईपीयू के प्रबंधन बोर्ड ने 144 शिक्षण पदों और 168 गैर-शिक्षण पदों के सृजन और पहले दो वर्षों में कुल शिक्षण पदों के 50 *प्रतिशत* को भरने को मंज़ूरी दी (अगस्त 2021)। कर्मचारियों की कमी के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2022 में सहायक प्रोफेसरों के केवल 32 पदों पर भर्ती की और दिसंबर 2023 तक शेष स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

डीटीयू जुलाई 2019 में विज्ञापित विभिन्न विषयों में 167 रिक्तियों के प्रति केवल 51 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती ही कर सका, जब कि उसी महीने विज्ञापित सहायक प्रोफेसरों की 87 अन्य रिक्तियों पर कोई भर्ती नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में यूजीसी द्वारा निर्धारित छह महीने के समय के प्रति 16 महीने (नवंबर 2020) लग गए। डीटीयू ने प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की, जब कि मार्च 2023 तक इन संवर्गों में भारी कमी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने 167 और 87 विज्ञापित शिक्षण पदों के प्रति शेष रिक्तियों की भर्ती वापस ले ली थी और नौ विषयों में 158 रिक्तियों की भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन मार्च 2024 में जारी किया गया, जिसके प्रति विश्वविद्यालय ने तीन विषयों में सहायक प्रोफेसरों के 68 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीटीयू के डिज़ाइन विभाग के लिए अक्टूबर और नवंबर 2020 में क्रमशः 15 शिक्षण पद और पांच गैर-शिक्षण पद स्वीकृत किए गए थे, परंतु दिसंबर 2023 तक भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डीटीयू ने कहा (मई 2024) कि सहायक प्रोफेसरों के 6 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया मार्च 2024 में शुरू की गई थी।

डीपीएसआरयू ने कहा कि भर्ती से संबंधित अधिकांश अभिलेख डीटीटीई के सतर्कता विंग के पास थे और नियमित भर्ती और संविदात्मक आधार पर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित केवल एक-एक फाइल और संविदात्मक आधार पर सहायक कुलसचिवों की नियुक्ति से संबंधित एक फाइल ही उपलब्ध कराई गई। इन सभी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयन समिति की संरचना विश्वविद्यालय के कानून के अनुसार नहीं थी। यह भी पाया गया कि डीपीएसआरयू लक्षित संख्या में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सका।

(ii) स्वीकृत पदों के बिना भर्ती

डीटीयू ने 2018-23 के दौरान अटेंडेंट, नर्स, कैमरामैन, खेल प्रशिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, टेलीफोन ऑपरेटर जैसे कुछ गैर-शिक्षण और तकनीकी पदों पर भर्तियां कीं, जिनके लिए कोई स्वीकृत पद नहीं थे **(अनुलग्नक 4.2)**। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2018 में डिज़ाइन विभाग के लिए अन्य विभागों की स्वीकृत संख्या के प्रति पांच सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई। डीटीयू ने कहा (अप्रैल 2024) कि अन्य संवर्गों में रिक्त पदों के प्रति कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की गई थी। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि विभिन्न संवर्गों में पद आवश्यकतानुसार स्वीकृत होते हैं और एक संवर्ग के रिक्त पदों के प्रति दूसरे संवर्ग में कर्मचारियों की भर्ती करना अनियमित है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के जुलाई 2011 के आदेशों के अनुसार डीटीयू में उप लेखा नियंत्रक (डीसीए) का कोई पद सृजित नहीं किया गया था, परंतु वित्त विभाग द्वारा डीटीयू में प्रतिनियुक्ति पर एक डीसीए को तैनात किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि सहायता के पैटर्न के अनुसार, डीटीयू के वित्त और लेखा विंग के सभी पद रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा संवर्ग से या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। तथ्य यह है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा डीटीयू में एक डीसीए की तैनाती की गई थी, जब कि डीटीयू में ऐसा कोई स्वीकृत पद नहीं था।

(iii) परामर्शदाताओं की नियुक्ति में अनियमितताएं

(क) जीजीएसआईपीयू में, तीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उप-कुलसचिव के रिक्त पदों पर परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इन पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य थे क्योंकि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ₹ 8,700 का ग्रेड वेतन नहीं प्राप्त कर रहे थे, जैसा कि भर्ती नियमों के अंतर्गत आवश्यक है। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि यह खंड त्रुटिपूर्ण था और मई 2023 में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिशोधित भर्ती नियमों के अनुसार, वे योग्य थे। विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025)। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि परामर्शदाताओं की नियुक्ति दिसंबर 2020 और जून 2022 के बीच की गई थी और तब वे मौजूदा नियमों के अनुसार अयोग्य थे।

(ख) रा.रा.क्षे.दि.स. के दिशानिर्देशों (दिसंबर 2015) में प्रावधान है कि स्वायत्त निकायों में परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना अंतिम आहरित मूल वेतन में से मूल पेंशन घटाकर और डीए जोड़कर की जाएगी। तथापि, जीजीएसआईपीयू के दिसंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) ने इन दिशानिर्देशों की अवहेलना की और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करते समय मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ते को शामिल करने के लिए "अंतिम परिलब्धियों" की परिभाषा को व्यापक बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त पांच सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ₹ 19.38 लाख का

अधिक भुगतान किया गया। इसके बावजूद कि प्रबंधन बोर्ड की मंज़ूरी केवल मई 2023 में मिली थी कार्यालय ज्ञापन के लाभों को अप्रैल 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनियमित रूप से लागू किया गया।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि दिसंबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन को जीजीएसआईपीयू द्वारा कभी नहीं अपनाया गया था और इसलिए इसके प्रावधान संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लागू नहीं थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2015 के दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2022 के विश्वविद्यालय कार्यालय ज्ञापन जारी होने से पहले, विश्वविद्यालय दिसंबर 2015 के सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का समेकित वेतन निर्धारित कर रहा था।

संक्षेप में, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण, गैर-शिक्षण और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। प्रमुख पदों पर नियमित कर्मचारियों का अभाव भी देखा गया, जिससे विश्वविद्यालयों के कामकाज की कुशलता में कमी आई। ऐसी कमियों के बावजूद, भर्ती की कार्रवाई में विलंब हुआ और जहाँ भर्तियाँ हुईं, वहाँ लेखापरीक्षा में नियमों के अपालन के मामले देखे गए। संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति भी अनियमितताओं से भरी हुई थी।

सिफारिश 6: विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित महत्वपूर्ण पदों को भरते हुए शिक्षण, गैर-शिक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करनी चाहिए।

4.3 अवसंरचना सुविधाएं और कार्य संविदाओं में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के अलावा कार्य निष्पादन में अनियमितताएं पाई गईं। चयनित तीन विश्वविद्यालयों में बैठने की जगह की कमी थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

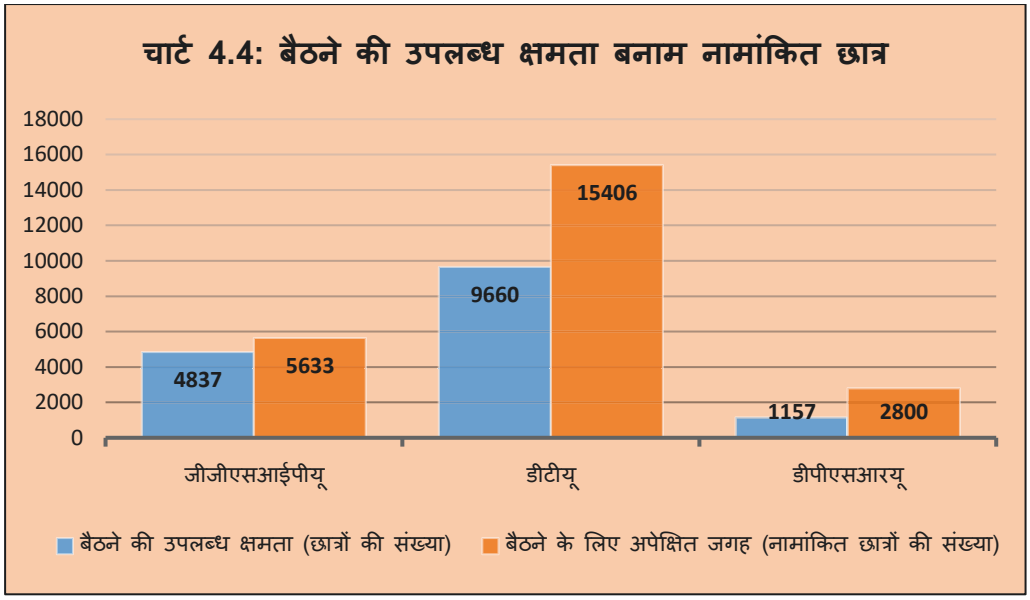

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित तीन विश्वविद्यालयों में अवसंरचना सुविधाओं संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.3.1 जीजीएसआईपीयू

जीजीएसआईपीयू के दो परिसर हैं, एक द्वारका में और दूसरा सूरजमल विहार में। द्वारका परिसर के पहले चरण का निर्माण मार्च 2013 में पूरा हुआ और सूरजमल विहार परिसर ने 2021-22 से काम करना शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि द्वारका परिसर में कक्षाओं की कमी थी, जहाँ अक्टूबर 2023 तक 4,017 नामांकित छात्रों के लिए 2,973 बैठने की क्षमता उपलब्ध थी, जब कि सूरजमल विहार परिसर में कक्षाएं पर्याप्त थीं (1,616 छात्रों के लिए 1,864 बैठने की क्षमता)।

निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों में पाई गई कमियां इस प्रकार थीं:

द्वारका परिसर

(i) पूंजीगत/मरम्मत/अनुरक्षण प्रकृति के 256 कार्यों में से 88 के पूरा होने में 27 महीने तक का विलंब हुआ, परंतु इनमें से किसी भी मामले में विलंब के लिए संविदाकारों को दंडित नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने दिन के समय विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के कारण स्थल की अनुपलब्धता को कार्य पूरा होने में विलंब के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और इसलिए संविदाकारों

पर कोई मुआवज़ा नहीं लगाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय में दिन के समय स्थल की अनुपलब्धता एक ज्ञात तथ्य है और इसलिए कार्य समापन के लिए अनुमानित समय की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

(ii) औषधि विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीएस) के लिए अगस्त 2022 में द्वारका परिसर में ₹ 26 लाख की लागत से निर्मित एक पशु गृह अक्टूबर 2023 तक कार्यात्मक नहीं था। सीईपीएस ने जनवरी 2023 में जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति (सीसीएसईए) के साथ आवश्यक पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जो नवंबर 2023 तक प्रतीक्षित था। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि पशु गृह सुविधा को मंज़ूरी दी गई और नवंबर 2024 में सीसीएसईए के साथ पंजीकृत किया गया। उत्तर इस बात पर चुप है कि क्या पशु गृह कार्यात्मक हो गया है।

(iii) द्वारका परिसर में एक तरणताल, जिसकी जुलाई 2020 में ₹ 53.37 लाख की लागत से मरम्मत की गई थी, अक्टूबर 2023 तक कार्यात्मक नहीं था। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने दोहराया (मार्च 2025) कि वह तरणताल को नौसिखियों के लिए उपयोगी बनाने की प्रक्रिया में है।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी विद्युत आवश्यकताओं का आकलन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2018-23 के दौरान द्वारका परिसर में ₹ 1.67 करोड़ और सूरजमल विहार परिसर में ₹ 0.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अतिरिक्त स्वीकृत भार पर भुगतान किए गए स्थायी शुल्क के कारण हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने अपनी विद्युत आवश्यकताओं की समीक्षा की है और अब द्वारका परिसर के लिए संविदा मांग को 1,959 केवीए से घटाकर 1,800 केवीए कर दिया है और सूरजमल विहार परिसर के लिए 2,041 केवीए से घटाकर 1,150 केवीए कर दिया है।

(v) द्वारका परिसर में चरण-II के निर्माण का प्रस्ताव, जो अप्रैल 2013 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2023 तक अभी भी योजना के स्तर पर था।

योजना के अनुसार, चरण-II का निर्माण पूरा होने के बाद परिसर 8,700 अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने में सक्षम होगा।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि पीडब्ल्यूडी ने मार्च 2023 में द्वारका परिसर के चरण-II के विकास के लिए ₹ 973.99 करोड़ का अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के लिए डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया था।

सूरजमल विहार परिसर

(i) सूरजमल विहार परिसर का निर्माण कार्य, जो नवंबर 2019 में पूरा होना था, 27 महीने के विलंब से जून 2023 में ही पूरा हुआ और अक्टूबर 2023 तक पीडब्ल्यूडी से परिसर की विभिन्न सुविधाओं को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया जारी थी। निर्माण गतिविधियों के बीच परिसर ने 2021-22 से काम करना शुरू कर दिया।

विभाग ने विश्वविद्यालय/पीडब्ल्यूडी के जनवरी 2024 के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि विलंब के प्रमुख कारण नींव के काम के लिए मिट्टी की भारी खुदाई के कारण कम हुई जगह, कोविड-19 के फैलने के कारण काम रुकना, एनजीटी द्वारा बार-बार लगाया गया प्रतिबंध, परिशोधित आलेखों की प्रूफ जांच आदि थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि 1,329 दिनों के कुल विलंब में से 368 दिनों का विलंब आलेख/परिशोधित आलेख सौंपने और निधि की अनुपलब्धता के कारण हुआ था, जिसे विश्वविद्यालय, परामर्शदाता वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग और संविदाकार के बीच बेहतर समन्वय से टाला जा सकता था।

4.3.2 दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)

समीक्षा में डीटीयू में अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कमियां सामने आईं-

(i) कक्षाओं की कमी: डीटीयू के दो परिसर हैं, एक रोहिणी में जिसकी छात्रों के बैठने की क्षमता 8,280 है और दूसरा विवेक विहार[5] में जिसकी क्षमता 1,380 है। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2023 तक रोहिणी

[5] शैक्षणिक सत्र 2017-18 से काम करना शुरू किया।

परिसर में नामांकित छात्रों की संख्या 13,908 और विवेक विहार परिसर में 1,498 थी। जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि रोहिणी परिसर में नामांकित छात्रों को समायोजित करने के लिए कक्षाएं पूरी तरह से अपर्याप्त थीं:

तालिका 4.1: डीटीयू के रोहिणी परिसर में उपलब्ध शैक्षणिक स्थान

निर्माण का चरण	निर्माण पूरा होने का वर्ष	कक्षाओं की संख्या	समायोजित किए जा सकने वाले छात्रों की संख्या	अक्टूबर 2023 तक नामांकित छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या के लिए शैक्षणिक स्थान की कमी
चरण-I	1996	उ.न.	3,000	13,908	5,628
चरण-II का स्टेज I	2022	67	5,280		
कुल			**8,280**	**13,908**	

अक्टूबर 2022 में रोहिणी परिसर के दूसरे चरण के स्टेज-I के पूरा होने से पहले कक्षाओं की कमी अत्यधिक गंभीर थी, जिसमें अतिरिक्त 5,280 छात्रों के लिए कक्षाएं जोड़ी गईं। कक्षाओं की कमी डीटीयू में अवसंरचना के विकास की धीमी गति का परिणाम थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- वर्ष 1996 में निर्मित रोहिणी परिसर के प्रथम चरण की छात्र भर्ती क्षमता 3,000 थी।
- वर्ष 2013 में, जब छात्रों की संख्या 9,000 से अधिक हो गई, तो विश्वविद्यालय ने पांच चरणों में 13,000 छात्रों के लिए अवसंरचना तैयार करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित चरण-2 में जनवरी 2015 तक नौ भवनों का निर्माण शामिल था।
- पांच भवनों के साथ चरण-II के स्टेज-I के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा केवल जुलाई 2018 में और मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2018 में अनुमोदित किया गया था।
- 5,280 छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसंरचना के निर्माण के लिए डीटीयू के चरण-II के स्टेज-I का निर्माण कार्य सितंबर 2019 में दिया गया था, जिसमें कार्य शुरू करने और पूरा करने की निर्धारित तिथि 23 सितंबर 2019 और 23 दिसंबर 2020 थी। यह कार्य वास्तव में 22 महीने के

विलंब से 18 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ, जिसमें से सात महीने का विलंब आलेख/परिशोधित आलेख सौंपने में विलंब या डिज़ाइन/सामग्री के विलंब से अनुमोदन के कारण हुआ, जब कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 निर्माण गतिविधियों के बीच शुरू किया गया था।

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2023 तक, लोक निर्माण विभाग से परिसर की विभिन्न सुविधाओं को सौंपने/अपने अधीन लेने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। डीटीयू द्वारा अवसंरचना में और वृद्धि करना अभी बाकी था। परिणामस्वरूप, 2023-24 में रोहिणी परिसर में नामांकित लगभग 14,000 छात्रों में से केवल 8,280 छात्रों के लिए ही अवसंरचना उपलब्ध थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू में वर्तमान छात्र क्षमता के लिए 145 कक्षाएं पर्याप्त हैं और छात्रों को उनके अध्ययन समय के दौरान कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में विभाजित किया जाता है। डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड ने अपनी 53वीं बैठक में भविष्य में 22,000 छात्रों के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। तथ्य यह है कि अक्टूबर 2023 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जगह की कमी देखी गई क्योंकि पुराने शैक्षणिक भवन में कक्षाओं में अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए शिक्षक मंच क्षेत्र में अतिरिक्त बेंच लगाई गई थीं।

(ii) डीटीटीई ने दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के माध्यम से डीटीयू में **विश्व स्तरीय कौशल केंद्र** (डब्ल्यूसीएससी) **के निर्माण** को मंज़ूरी दी (फरवरी 2019), जिसे 120 छात्रों के लिए दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों (लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और फिल्म निर्माण) के साथ 2022-23 से कार्यात्मक बनाया जाना था। तथापि, निर्माण कार्य दो वर्ष से भी अधिक समय बाद सितंबर 2021 में ₹ 5.55 करोड़ की लागत से दिया गया, जिसे जुलाई 2022 तक पूरा किया जाना था। अक्टूबर 2023 में डीटीयू के रोहिणी परिसर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गया था, निर्माण कार्य में भौतिक प्रगति 80 *प्रतिशत* थी और डब्ल्यूसीएससी को अभी तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीटीडीसी द्वारा आगे काम नहीं किया गया क्योंकि डीटीटीई ने 2023-24 के दौरान बजट शीर्ष के अंतर्गत कम आबंटन के कारण धनराशि जारी नहीं की। इस प्रकार, कार्य के सभी चरणों में समय-सीमा का उल्लंघन हुआ और भवन अभी भी प्रचालन में नहीं है (अक्टूबर 2023)।

(iii) छात्रावासों के बिस्तरों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, विश्वविद्यालय के छात्रावास आबंटन नियमों के अनुसार, **छात्रावास सुविधा आबंटित** करते समय दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। नवंबर 2023 तक, विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में लड़कों के लिए 1,733 छात्रावास बिस्तर और लड़कियों के लिए 766 बिस्तर उपलब्ध थे। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018-20 और 2022-23[6] के दौरान, दिल्ली के 1,546 छात्रों को छात्रावास सुविधा प्रदान की गई, जब कि दिल्ली के बाहर के लगभग 1,300 छात्र छात्रावास सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तथापि, विश्वविद्यालय में छात्रावास के बिस्तरों के लिए आवेदन और आबंटन पर विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था और आबंटन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा छात्रावास सुविधा के आबंटन में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को सत्यापित नहीं कर सका।

डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि दिल्ली श्रेणी के बाहर के किसी भी स्नातकपूर्व छात्र को छात्रावास सुविधा से वंचित नहीं किया गया और इस संबंध में आंकड़ों की हार्ड कॉपी नहीं रखी गई क्योंकि आंकड़े बहुत विशाल हैं। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि छात्रावास सुविधा संबंधी आंकड़ों के अवलोकन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली के बाहर के कई छात्र छात्रावास सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे।

विभाग ने डीटीयू में छात्रों को छात्रावास आबंटन पर 2018-20 और 2022-23 की अवधि के लिए परिशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए (मार्च 2025)। तथापि, यह किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा इसका वैधीकरण नहीं कर सकी।

[6] 2020-21 और 2021-22 में कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई।

4.3.3 डीपीएसआरयू

वर्तमान में विश्वविद्यालय का एक परिसर पुष्प विहार, नई दिल्ली में 10.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

(i) कक्षाओं की कमी: 1,157 की बैठने की क्षमता के प्रति विश्वविद्यालय में 2,800 छात्र नामांकित थे, जो कक्षाओं की कमी को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और कक्षाओं की कमी को दूर करने के लिए नए भवन के निर्माण जैसे आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ii) निक्षेप कार्यों के निष्पादन और निगरानी में अनियमितताएं: विश्वविद्यालय, डीटीटीई से प्राप्त सहायता अनुदान से, दो निष्पादन एजेंसियों - लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अवसंरचना कार्यों का निष्पादन करता है। 2018-23 की अवधि के दौरान पीडब्ल्यूडी/डीटीटीडीसी द्वारा निष्पादित 34 निक्षेप कार्यों के मामले में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें पाई गईं:

(क) पूंजीगत कार्यों जैसे आंतरिक सड़कों का निर्माण, वातानुकूलकों की व्यवस्था और स्थापना, स्टील संरचना के साथ कक्षा स्थान का निर्माण आदि पर ₹ 1.05 करोड़ का **व्यय** पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान शीर्ष के बजाय सहायता अनुदान - सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत से किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि प्रारंभ में डीपीएसआरयू द्वारा जीआईए-सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत से भुगतान किया गया था, परंतु बाद में वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देते समय, भुगतानों को जीआईए-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अंतर्गत दर्ज किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं है।

(ख) 100 *प्रतिशत* **निक्षेप कार्यों** के मामले में, निष्पादन एजेंसियों ने व्यय स्वीकृति के निबंधनों व शर्तों के अनुसार डीपीएसआरयू को अवार्ड पत्र, मासिक वित्तीय और भौतिक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, निष्पादन एजेंसियों ने न तो अव्ययित शेष राशि की स्थिति प्रस्तुत की और न ही उसे

अर्जित ब्याज सहित, यदि कोई हो, डीपीएसआरयू को वापस किया। डीपीएसआरयू ने इस मामले को आगे बढ़ाया भी नहीं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने निष्पादन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

(ग) डीपीएसआरयू में **विश्व स्तरीय कौशल केंद्र** के विस्तार के लिए एक अलग ब्लॉक के निर्माण से संबंधित कार्य डीटीटीडीसी को जुलाई 2022 तक पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ सौंपा गया था (नवंबर 2021)। दिसंबर 2023 तक काम पूरा होना बाकी था, परंतु विलंब के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(घ) डीपीएसआरयू के खेल विज्ञान और अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एएसएसआरएम) के अभिलेखों की संवीक्षा और **अवसंरचना के भौतिक सत्यापन** के दौरान, यह पाया गया कि तैराकी, जिमनास्टिक्स (लड़कियां), वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और योग फिटनेस और वेलनेस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, जैसा कि खेल विज्ञान में पीजी पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या द्वारा अपेक्षित है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि भावी अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है।

4.3.4 उपकरणों की खरीद में अनियमितताएं

उपकरणों की खरीद में पाई गई अनियमितताएं निम्नानुसार हैं:

(i) जीएफआर 2017 के अनुपालन में कमी: लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.59 करोड़ के व्यय वाले 10 कार्यों के मामले में, डीपीएसआरयू ने इन कार्यों के समग्र अनुमानों की अलग-अलग कार्य मदों को जीईएम के माध्यम से, बिना जीईएम पर बोलियां प्राप्त किए खरीदा, यद्यपि इन 10 मामलों में से प्रत्येक में कार्य के लिए अनुमानित राशि ₹ 5 लाख से अधिक थी। यह सामान्य वित्तीय नियमावली 149 का स्पष्ट उल्लंघन था और विश्वविद्यालय इन कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि उक्त मामलों में, विभिन्न मदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, इसलिए जीएफआर के नियम 149 (i) और (ii) के अंतर्गत

जीईएम पोर्टल से विभिन्न मदों की खरीद की गई, जिसके लिए बोलियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त मदें समान प्रकृति की थीं और 10 मामलों में से प्रत्येक में अनुमानित राशि ₹ 5 लाख से अधिक थी, जिसके लिए जीएफआर के नियम 149 (iii) के अंतर्गत बोलियां प्राप्त करना आवश्यक था।

(ii) अवमानक खरीद: लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीएसआरयू ने विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए यह सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.45 करोड़ के 25 उपकरण खरीदे थे, कि उपकरण आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करते हैं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने विनिर्देश, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण आदि के संबंध में मांगकर्ता की पुष्टि के बाद उपकरण खरीदे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि खरीदे गए उपकरणों के विनिर्देश और गुणवत्ता मांगकर्ता द्वारा प्रस्तावित मूल मांग से भिन्न हैं।

4.3.5 विश्वविद्यालयों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

लेखापरीक्षा दल और संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों विश्वविद्यालयों के परिसरों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। अपर्याप्त अवसंरचना जैसी कमियां पाई गईं। उपलब्ध अवसंरचना/उपकरणों के गैर-उपयोग का सारांश **अनुलग्नक 4.3** में दिया गया है।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने द्वारका परिसर के संबंध में कहा (जनवरी 2024) कि उसने अनुपालन हेतु पर्याप्त अवसंरचना के गैर-उपयोग/अनुपलब्धता के संबंध में अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और बैडमिंटन कोर्ट के पास खुले क्षेत्र को अब साफ़ कर दिया गया है। सूरजमल विहार परिसर के संबंध में, यह बताया गया कि पर्याप्त अवसंरचना के गैर-उपयोग/अनुपलब्धता के मुद्दे के समाधान के लिए उचित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/शुरू किए गए हैं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू के रोहिणी परिसर के पुराने शैक्षणिक ब्लॉक में लिफ्ट कार्यात्मक हो गई हैं; विद्युत इंजीनियरी विभाग और केंद्रीय सीढ़ी क्षेत्र से रद्दी सामग्री हटा दी गई है; ईडीयूएसएसी की डंप की गई मशीनरी/उपकरण हटा दिए गए हैं और विवेक विहार परिसर में शैक्षणिक भवन

की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और चारदीवारी की मरम्मत की गई है।

इस प्रकार, जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर, डीटीयू के रोहिणी परिसर और डीपीएसआरयू में उपलब्ध कक्षाएं नामांकित छात्रों के लिए पूरी तरह अपर्याप्त थीं। इसके बावजूद, अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई। कुछ मामलों में, निर्मित अवसंरचना और खरीदे गए उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

सिफारिश 7: विश्वविद्यालयों को अवसंरचना के निर्माण में समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायित्व के बिंदु निर्धारित करने चाहिए, जैसा कि छात्रों के लिए कक्षाएं एवं छात्रावास और सृजित परिसंपत्तियों का समय पर उपयोग।